

25.7.23 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, विपक्षीगण  
अश्वितनता जवाब आयन्दा पेश करना चाहते  
हैं जवाब हेतु अवसर दिया जाता है, पत्रावल  
वास्ते विपक्षीगण के जवाब हेतु निचत  
दिनांक 29.8.23 को पेश है (H)

29.8.23 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, वकील  
वादीगण वाद पत्र को नोट प्रेस में खारीज  
किये जाने का विवेदन किया जिसमें बताया  
गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य  
आपसी समझौता हो चुका है। अब आगे इस  
प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः  
प्रकरण इसी स्टेज पर नोट प्रेस में खारीज  
कराया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील  
वादीगण को सुना। वकील वादीगण के  
बद्वारा वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही  
नहीं चाहने से वाद पत्र नोट प्रेस में खारीज  
किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार दोसर  
नम्बर से कम है।

(H)  
उपस्थित अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा



Not frassed  
MAA  
29/08/23